न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 282/2020

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र दिवान सिंह जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. दिवान सिंह पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
2. महावीर सिंह पुत्र दिवान सिंह जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
3. बलवीर सिंह पुत्र दिवान सिंह जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
4. ओमप्रकाश पुत्र दिवान सिंह जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
5. राजेश कुमार पुत्र दिवान सिंह जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
6. कृष्णा देवी पुत्री दिवान सिंह पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा हाल बान्डाहेडी त0 व जिला हिसार।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचंद वर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अक्षय कुमार वर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादो साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा आसन के खाता सं0 26/31 के खसरा सं0 123/2 की 1.176है0, खसरा सं0 123/4 की 3.125है0, खसरा सं0 179/1 की 1.096है0 कुल 5.397है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 दिवान सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में से प्रतिवादी सं0 1 दिवान सिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चुंकि प्रतिवादी सं0 1 व 6 ने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने पर यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी राजेन्द्र सिंह प्रतिवादी सं0 2 महावीर सिंह, प्रतिवादी सं0 3 बलवीर सिंह, प्रतिवादी सं0 4 ओमप्रकाश, व प्रतिवादी सं0 5 राजेश कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:20:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 282/2020

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र दिवान सिंह जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. दिवान सिंह पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
2. महावीर सिंह पुत्र दिवान सिंह जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
3. बलवीर सिंह पुत्र दिवान सिंह जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
4. ओमप्रकाश पुत्र दिवान सिंह जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
5. राजेश कुमार पुत्र दिवान सिंह जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
6. कृष्णा देवी पुत्री दिवान सिंह पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा हाल बान्डाहेडी त0 व जिला हिसार।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचंद वर्मा: वादी
वकील श्री अक्षय कुमार वर्मा : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 06.7.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा आसन के खाता सं0 26/31 के खसरा सं0 123/2 की 1.176है0, खसरा सं0 123/4 की 3.125है0, खसरा सं0 179/1 की 1.096है0 कुल 5.397है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 दिवान सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा बेगराज की खातेदारी हुआ करती थी। बेगराज के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 दिवानसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 6 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:20:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 राजेन्द्र सिंह पुत्र दिवानसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही आसन खाता सं0 26/31 संवत 2073–76 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही भिरानी खाता सं0 274/151 संवत 2074–77 प्रदर्श 2, जमाबंदी भू प्रबंध विभाग संवत 2029–38 प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सूरतपुरा प्रदर्श 4, शपथ पत्र बाबत् वारिसान प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताविक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही आसन के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही आसन खाता सं0 26/31 संवत 2073–76 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही भिरानी खाता सं0 274/151 संवत 2074–77 प्रदर्श 2, जमाबंदी भू प्रबंध विभाग संवत 2029–38 प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सूरतपुरा प्रदर्श 4, शपथ पत्र बाबत् वारिसान प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये। तथा प्रदर्श 5 शपथ पत्र मय वारिस प्रमाण के अनुसार दिवान सिंह के पांच पुत्र महावीर सिंह, बलवीर सिंह, राजेश कुमार, ओमप्रकाश, राजेन्द्र सिंह व एक पुत्री कृष्णा देवी तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा आसन के खाता सं0 26/31 के खसरा सं0 123/2 की 1.176है0, खसरा सं0 123/4 की 3.125है0, खसरा सं0 179/1 की 1.096है0 कुल 5.397है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 दिवान सिह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में से प्रतिवादी सं0 1 दिवान सिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चुंकि प्रतिवादी सं0 1 व 6 ने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने पर यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी राजेन्द्र सिंह प्रतिवादी सं0 2 महावी[illegible] सिंह, प्रतिवादी सं0 4 ओमप्रकाश, व प्रतिवादी सं0 5 राजेश कुमार को [illegible] के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त [illegible] अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:20:09 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 06.7.21 को मे[illegible]रा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner